कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 82 / 2018 / 10–11 / 16 / 1895 भोपाल, दिनांक 27/05/22

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई–5, लिंक रोड़ नं. 3
रविशंकर नगर भोपाल–462016

विषयः–जिला नीमच के अंतर्गत गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 39.399 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 25.02.2020

––0––

विषयांतर्गत में लेख हैं, कि यह प्रस्ताव पहले 36.00 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन का था। जिस पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 25.02.2020 को चर्चा हुई। आर.ई.सी. की बैठक में प्रस्ताव के संबंध मे निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1- The DSS analysis and google earth show the construction work in the forest land which attract Para 1.21 of FCA Handbook 2019 for violation in Forest Land. Thus detailed report shall be submitted on following points ;

a. The proposal for Penal NPV as per the Para 1.21 (ii) of FCA Handbook 2019.

b. The proposal for Penal CA from the State Govt. of MP.

c. The State Govt. shall submit the details report as per Para 1.21 (ii) a, b, c & d of FCA Handbook 2019.

2- As per DSS analysis, the KML file of proposed diversion comes to be 41.43 ha in place of 36 ha and CA area (NFL) comes to be 62.45 ha in place of 36 ha. Thus, the area and KML file may kind be reconciled and correct map & KML file may be submitted and uploaded.

3- The revised site specific CA scheme shall be submitted as per the Para 2.8 (iii) of FCA Handbook 2019 and shall include the following points also:

a) Standard size Saplings to be planted (Minimum standard height and minimum collar girth species wise) as approved by the State Govt.

b) Soil & moisture conservation works.

c) Regeneration cleaning.

d) Silvicultural and other activities as prescribed in the working plan including all stumps upto 90 cm dressing of copping species from ground level.

e) Species to be planted (species wise number of pants)

उपरोक्त संबंध में लेख है, कि इस प्रस्तावित वनभूमि का संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण कराने पर वनक्षेत्र का रकबा 39.84 हे0 आता है। इस 39.84 हे0 में से 0.441 हे0 वनभूमि का डीनोटिफिकेशन वर्ष 1990 में हो चूका है। इस प्रकार 0.441 हे0 भूमि को घटाने से प्रस्ताव में 39.399 हे0 वनभूमि प्रभावित होती है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस 39.399 हे0 भूमि में राजस्व विभाग के अभिलेखों के हिसाब से 9.198 हे0 राजस्व भूमि पर 08 पट्टेधारकों की भूमि शामिल है। जल संसाधन विभाग द्वारा इन 08 पट्टेधारकों को मुआवजा भी वितरित कर दिया है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों मे राजस्व भूमि होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु 39.399 हे0 गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। उक्त 39.399 हे0 गैर वनभूमि की पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी, नीमच द्वारा तैयार की गयी है। जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है, साथ ही वनमण्डलाधिकारी, नीमच की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं डीनोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है

अतः इस 39.399 हे0 वनभूमि का संशोधित प्रस्ताव संलग्न कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

27/5/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 82 / 2018 / 10–11 / 16 / 1896 भोपाल, दिनांक 27/05/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच, मनासा नाका रोड, जिला नीमच, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

27/5/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)

पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड़, नीमच

Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 1349 नीमच, दिनांक– 24/03/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
भोपाल, म.प्र.

विषयः– जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / एफ–3 / 82 / 2018 / 10–11 / 16 / 393 दिनांक 23.01.2021 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा का पृष्ठांकन क्रमांक / 2021 / 402 दिनांक 16.03.2021.

विषयांकित प्रकरण में निवेदन हैं, कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना में प्रभावित होने वाली 36.00 हे. वनभूमि का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 28.01.2021 को राजस्व विभाग एवं जलसंसाधन विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से किया गया। स्थल निरीक्षण में निम्नानुसार स्थिति परिलक्षित हुई हैः–

01. वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 287,290,293 की आरक्षित वन लाईन से जल संसाधन विभाग द्वारा F.T.L. की मार्किंग की गई। जिसमें जो जलभराव प्रस्तावित हैं, की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। जिसके अनुसार वनक्षेत्र का रकबा 39.84 हे. होना पाया गया हैं, जिसकी सीमा लाईन को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया हैं।
02. उपरोक्तानुसार रकबा 39.84 हे. में से म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 391 भोपाल दिनांक 12.11.1990 अनुसार रकबा 0.441 हे. वनभूमि का डीनोटिफिकेशन होना पाया गया हैं। जिसको कुल वनक्षेत्र 39.84 हे. भूमि में से घटाने पर शेष बची वनभूमि 39.399 हे. होती हैं।
03. उपरोक्तानुसार रकबा 39.84 हे. में से तहसीलदार मनासा के पत्र क्रमांक 274 / रीडर–1 / 2021 दिनांक 09.02.2021 अनुसार 08 पट्टेदारों को राजस्व विभाग / जलसंसाधन विभाग द्वारा रकबा 9.198 हे. का अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका हैं, लेकिन उक्त सर्वे नं. एवं रकबा (0.441 हे. के अतिरिक्त) का म.प्र. शासन वनविभाग से डिनोटिफिकेशन नहीं होना पाया गया हैं।

संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन मय सहपत्रों सहित पत्र के संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

पृष्ठा.क्र. / मा.चि. / 2021 / 1350 नीमच, दिनांक :– 24/03/2021

प्रतिलिपिः–

मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में मय सहपत्रों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

Scanned with CamScanner

कार्यालयःवनपरिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र मनासा,जिलाःनीमच(म.प्र.)
Phone No. (07421) 242065, E-mail- Rotmanasa@mp.gov.in

क्रमांक /2021/ मनासा, दिनांक :–

निरीक्षण टीप

वन विभाग मनासा, राजस्व विभाग मनासा, जल संसाधन विभाग मनासा एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगा बावड़ी निर्माणाधिन डेम का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.01.2021 को कार्यालय अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंधन) भोपाल का पत्र कमांक /एफ–3/393 दिनांक 23.01.2021 एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी नीमच के पत्र कमांक/मा.चि./2021/624 दिनांक 23.01.2021 द्वारा ली गई आपत्ति के निराकरण की पूर्ति के लिये संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया किः–

1. मौका स्थल पर कक्ष कमांक **287,290,293** की R.F. (आरक्षित वन) लाईन के जी.पी.एस. रीडिंग के निर्देशांक निम्नानुसार है–

मुनारा कमांक 216 बीट– भेरपुरा
N-24̊33'32.0" E-75̊10'2.2"
मुनारा कमांक 217 बीट– भेरपुरा
N-24̊33'40.0" E-75̊10'08.8"
मुनारा कमांक 218 बीट– पड़दा
N-24̊33'46.2" E-75̊10'08.2"
मुनारा कमांक 219 बीट– पड़दा
N-24̊33'46.5" E-75̊09'59.3"
मुनारा कमांक 220 बीट– पड़दा
N-24̊33'42.0" E-75̊09'58.0"
मुनारा कमांक 221 बीट– पड़दा
N-24̊33'39.8" E-75̊09'52.0"

के अनुसार राजस्व क्षेत्र का **रकबा 11.0हे. पाया** गया जिसकी सीमा लाईन नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है। संलग्न–नक्शा कमांक (1)

2. मौका पर बने मुनारों के जी.पी.एस. निर्देशांक निम्नानुसार है –
   1. N-24̊ 33'32.0" E-75̊10'15.0" 2. N-24̊ 33'34.8" E-75̊10'20.5"
   3. N-24̊ 33'39.8" E-75̊10'15.5" 4. N-24̊ 33'39.4" E-75̊10'11.1"
   5. N-24̊ 33'56.3" E-75̊10'09.0" 4. N-24̊ 33'48.9" E-75̊10'00.5"

3. वनक्षेत्र के कक्ष कमांक **287, 290,293** की **R.F.**(आरक्षित वन) लाईन से जल संसाधन विभाग द्वारा **F.T.L.** की मार्किंग की गई जिसमें जो जल भराव प्रस्तावित है, के जी.पी.एस. रीडिंग निर्देशांक निम्नानुसार है–
   1. N-24̊33'29.2" E-75̊10'04.3" 2. N-24̊33'30.1" E-75̊10'05.2"
   3. N-24̊33'30.7" E-75̊10'07.0" 4. N-24̊33'30.9" E-75̊10'07.2"
   5. N-24̊33'30.7" E-75̊10'07" 6. N-24̊33'31.1" E-75̊10'08.0"
   7. N-24̊33'31.1" E-75̊10'09.7" 8. N-24̊33'31.1" E-75̊10'10.3"
   9. N-24̊33'31.1" E-75̊10'11.5" 10. N-24̊33'31.0" E-75̊10'12.3"
   11. N-24̊33'30.9" E-75̊10'13.1" 12. N-24̊33'30.9" E-75̊10'13.5"
   13. N-24̊33'30.7" E-75̊10'14.5" 14. N-24̊33'30.6" E-75̊10'15.3"
   15. N-24̊33'30.7" E-75̊10'19.3" 16. N-24̊33'29.7" E-75̊10'19.0"
   17. N-24̊33'29.3" E-75̊10'21.9" 18. N-24̊33'29.3" E-75̊10'26.9"
   19. N-24̊33'29.1" E-75̊10'26.1" 20. N-24̊33'30.2" E-75̊10'35.1"
   21. N-24̊33'29.1" E-75̊10'32.3" 22. N-24̊33'30.3" E-75̊10'40.3"
   23. N-24̊33'31.3" E-75̊10'38.2" 24. N-24̊33'32.3" E-75̊10'33.3"
   25. N-24̊33'34.4" E-75̊10'33.7" 26. N-24̊33'34.5" E-75̊10'31.7"

Scanned with CamScanner

27. N-24°33'35.1" E-75°10'31.4" 28. N-24°33'33.3" E-75°10'28.9"
29. N-24°33'39.2" E-75°10'22.1" 30. N-24°33'30.4" E-75°10'23.7"
31. N-24°33'41.4" E-75°10'19.6" 32. N-24°33'32.7" E-75°10'16.3"
33. N-24°33'43.7" E-75°10'16.2" 34. N-24°33'44.8" E-75°10'15.0"
35. N-24°33'45.4" E-75°10'15.4" 36. N-24°33'46.4" E-75°10'14.2"
37. N-24°33'47.7" E-75°10'12.2" 38. N-24°33'50.8" E-75°10'11.8"
39. N-24°33'48.9" E-75°10'12.4" 40. N-24°33'54.4" E-75°10'11.9"
41. N-24°33'56.4" E-75°10'09.0" 42. N-24°33'57.1" E-75°10'06.3"
43. N-24°33'56.6" E-75°10'07.7" 44. N-24°33'56.3" E-75°10'02.8"
45. N-24°33'56.4" E-75°10'05.2" 46. N-24°33'55.5" E-75°10'01.9"
47. N-24°33'57.7" E-75°10'04.1" 48. N-24°33'53.3" E-75°10'01.5"
49. N-24°33'39.3" E-75°09'56.4" 50. N-24°33'50.5" E-75°09'57.5"

के अनुसार वनक्षेत्र का **रकबा 39.84 हेक्टेयर** पाया, जिसकी सीमा लाईन को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

संलग्न– नक्शा कमांक (2)

4. **म.प्र.** राजपत्र **(असाधारण) कं 391** भोपाल दिनांक **12.11.1990** अनुसार – उक्त डेम निर्माण क्षेत्र में **0.441 हे. वन भूमि का डिनोटीफिकेशन पाया** है। जो **वन क्षेत्र 39.84 हे.** भूमि मे सम्मिलित होने से उसे घटाया जाना उचित हैं। **शेष बची वन भूमि 39.399 हे. में से अन्य किसी राजस्व /वन विभाग के कक्ष का डिनोटिफिकेशन नहीं पाया गया।** नक्शा संलग्न (3) एवं डिनोटिफिकेशन असाधारण राजपत्र दिनांक 12.11.1990

तहसीलदार मनासा के पत्र कंमाक 274/रीडर–1/2021 दिनांक 09.02.2021 से सर्वे नं. एवं उसका रकबा के आदेश जिलाधीश महोदय द्वारा किये गये है, जो निम्नानुसार है–

कमांक	सर्वे कमांक	रकबा	नाम
01.	97	1.092	कवरी बाई आदि बारेट
02.	98	1.295	कालू पिता अमरा बारेट
03	99/1	1.012	मांगी बाई बेवा मोहन लाल आदि कीर
04.	99/2	1.011	मांगी बाई बेवा मोहन लाल आदि कीर
05.	100	2.023	फोरुलाल पिता नंदा आदि
06.	1097	0.441	रतन पिता सेवा आदि बारेट
07.	1098	2.000	मानसिंह पिता रुघनाथ सिंह राजपुत
08.	1100	0.324	मांगी बाई बेवा मोहन लाल आदि कीर
योग	08	9.198	
योग में से डिनोटिफिकेशन रकबा घटाने पर		(–) 0.441	
कुल योग		8.757	

Scanned with CamScanner

उपरोक्त 08 पट्टेदारों को जल संसाधन/राजस्व विभाग द्वारा अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका है, लेकिन उक्त सर्वे नं एवं रकबा का म.प्र. शासन से डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ पाया ।

संलग्नः—1. नक्षा कमांक (1 व 2)

2. नक्षा कमांक (3) । नजरीया नक्षा

3. असाधारण राजपत्र./भोपाल/मंगलवार/12 नवम्बर 1990 की छायाप्रति

4. कार्यालय तहसीलदार तहसील मनासा जिला नीमच के पत्र क्र 274/रीडर–1/2021/ मनाासा दिनांक 09.02.2021 के पृश्ठ क्र.01 से 59 तक एक प्रति में नस्ती संलग्न !

वन विभाग मनासा, राजस्व विभाग मनासा, जल संसाधन विभाग मनासा एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगा बावड़ी निर्माणाधिन डेम का संयुक्त निरीक्षण दिनांक **28.01.2021** को किया गया। जिसमें उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी–

DFO
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

❖ वनविभाग

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	श्री एस. के. अरोड़े	उप वन मण्डल अधि. मनासा	[signature]
02.	मो. सलीम मन्सूरी	वन परिक्षेत्र अधि. मनासा	[signature]
03.	" दिनेश पाटीदार	परिक्षेत्र सहायक पड़दा	[signature]
04.	" हेमन्त बसेर	बीट प्रभारी मेर पुरा	[signature]
05.	" युद्धवीर शक्तावत	बीट प्रभारी पड़दा	[signature]
06.	" रणजीत सिंह बोराना	पूर्व बीट प्रभारी भेरपुरा	[signature]

❖ जल संसाधन विभाग

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	श्री जी. एस. डावर	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन नीमच	[signature]
02.	एम.ए. सिद्दीकी	अनु. अधिकारी जलसंसाधन उपसंभाग, रामपुरा	[signature]

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
नीमच

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
रामपुरा (म.प्र.)

❖ राजस्व विभाग

क.	पद	नाम	हस्ताक्षर
01.	S.D.M. राजस्व मनासा	श्री मनीष जैन	[signature]
02.	तहसीलदार मनासा	मनोहरलाल वर्मा	[signature]
03.	RI	दिनेश मेहता	[signature]
04.	ह.प. पड़दा	दीपक पाटीदार	[signature]
05.			
06.			

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा, जिला–नीमच (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

❖ विधायक प्रतिनिधि

क्र.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	आनन्द कुमार श्रीवास्तव	विधायक प्रतिनिधि	[signature]

(मोहम्मद सलीम मन्सूरी)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा

क्रमांक /2021/402 मनासा, दिनांक :– 16.3.2021

प्रतिलिपिः–

01. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित। [handwritten]
02. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग जिला नीमच की ओर सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मनासा की ओर सूचनार्थ।
04. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग मनासा की ओर सूचनार्थ।
05. उपवनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल मनासा की ओर सूचनार्थ ।
06. तहसीलदार, राजस्व मनासा की ओर सूचनार्थ।

[signature]
वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा

[handwritten notes and signature]

[stamp: वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, नीमच — क्रमांक 2097, 22/03/2021]

Scanned with CamScanner

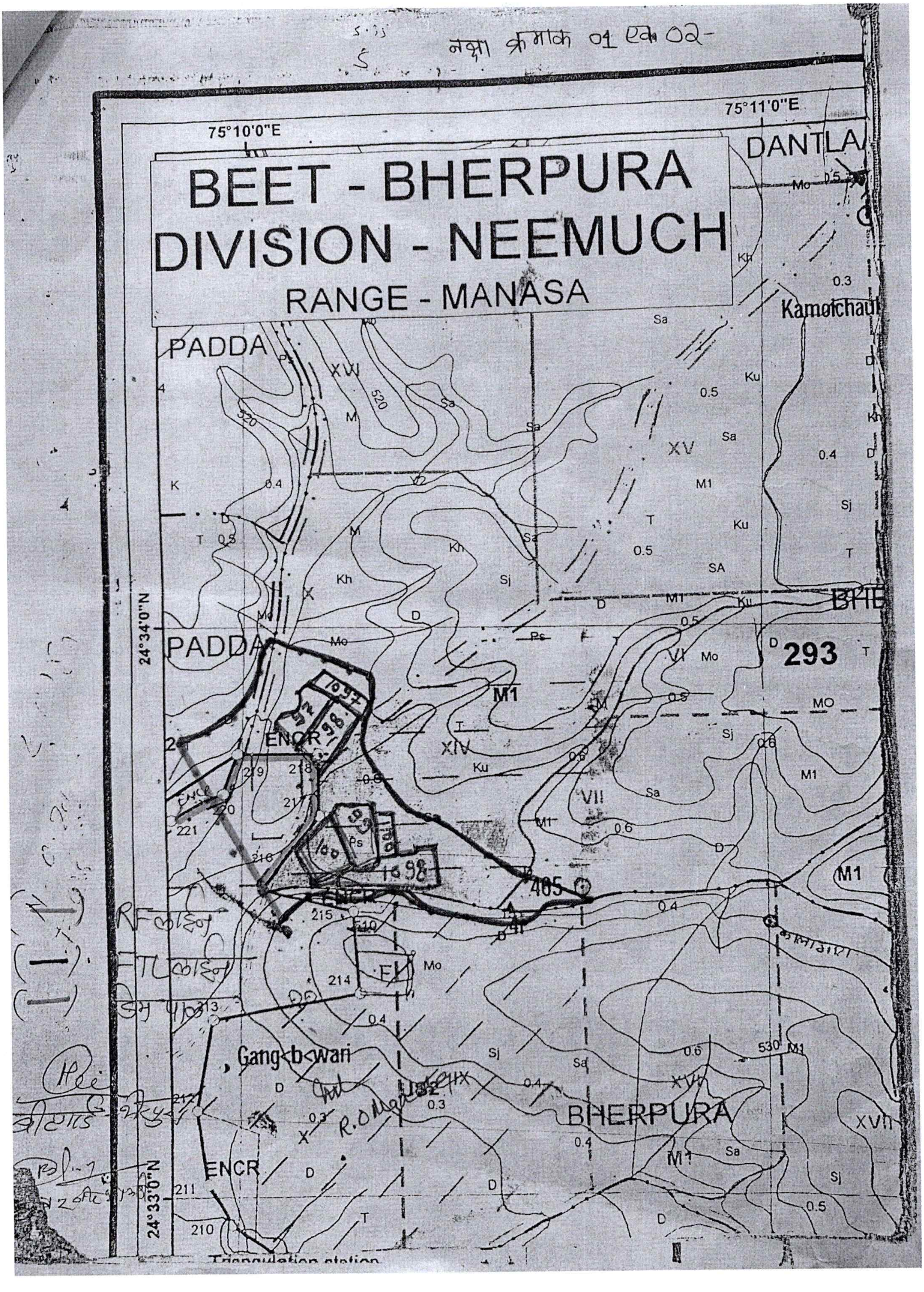

Scanned with CamScanner

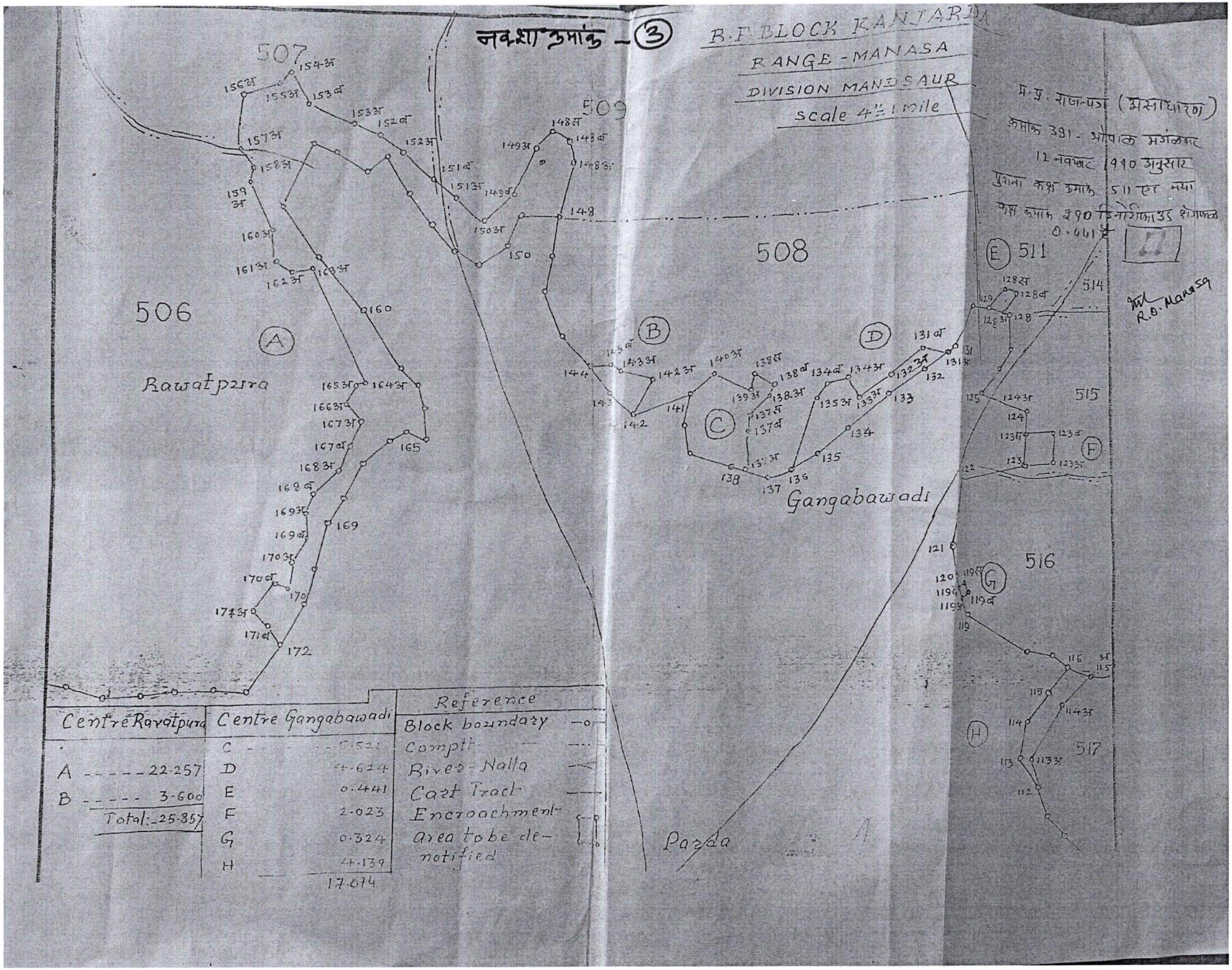

Scanned with CamScanner

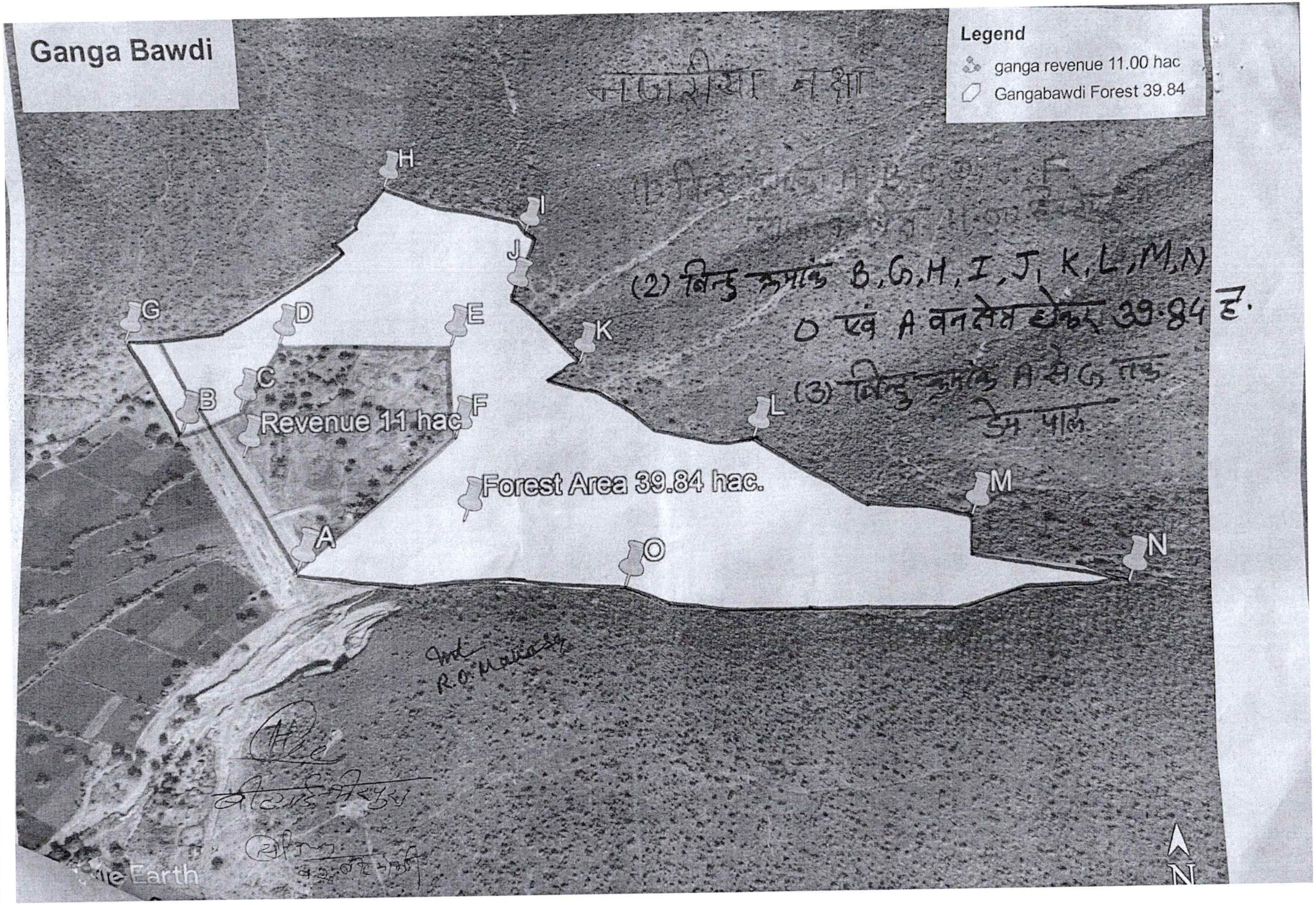

Scanned with CamScanner

(6)

कार्यालय तहसीलदार, तहसील–मनासा, जिला–नीमच.

क्रमांक– 274 /रीडर–1/2021 मनासा, दिनांक 09-02-2021

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
वन परिक्षेत्र–मनासा.

विषय :– गंगा बावड़ी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि की जानकारी प्रस्तुत करने बाबत् ।

01– उपरोक्त विषयांतर्गत गंगा बावड़ी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में जन संसाधन विमाग के चिन्हांकन के अनुसार भूमि जो कि निजी स्वत्व की है तथा वन विभाग नक्शा शीट में कम नही कई गई संबंधी जानकारी राजस्व निरीक्षक, मनासा/पटवारी, मौजा–पड़दा द्वारा इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा	नाम
01	97	1.092	कंवरीबाई आदि बारेठ
02	98	1.295	कालू पिता अमरा बारेठ
03	99/1	1.012	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
04	99/2	1.011	मांगीबाई बेवा मोहनलाल कीर आदि
05	100	2.023	फोरूलाल पिता नन्दा आदि
06	1097	0.441	रतन पिता सेवा बारेठ आदि
07	1098	2.000	मानसिंह पिता रूघनाथसिंह राजपूत
08	1100	0.324	मांगीबाई बेवा मोहनलाल कीर आदि

उपरोक्त आठ निजी भूमिस्वामियों की भूमि में से सर्वेनम्बर–97, 98, 99 (वर्तमान में बटानम्बर–99/1, 99/2) 100, रकबा क्रमश–1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011), 2.023 वर्ष–1961 में गांधसागर बांध जलाशय के डूब विस्थापितों को ग्राम–पड़दा में वन भूमि से कम कर आवंटित की गई थी एवं राजस्व सीमा में सम्मिलित की गई थी, उक्त सर्वेनम्बरों के वर्ष 1968–69 के अधिकार अभिलेख अभियान (बंदोबस्त) के पूर्व सर्वेनम्बर अलग थे इस कारण अधिकार अभिलेख (बंदोबस्त) के पूर्व सर्वेनम्बर अलग थे, अधिकार अभिलेख 1968–69 की प्रतिलिपियां (जिनमें नये पुराने नम्बर दोनों दर्ज थे) तथा वर्ष 1961–62 के खसरे की प्रतिलिपियां (जिनमें आवंटन के प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक) दर्ज है) संलग्न है । सर्वेनम्बर–1997, 1998, 1100 रकबा क्रमशः 0.441, 2.000, 0.324 की भूमि वन व्यवस्थापन के अभियान में मौके पर कब्जेदारों को आवंटित की गई थी एवं राजस्व रिकार्ड व नक्शे में शामिल की गई थी, सर्वेनम्बर–1097, 1098, 1100 के आवंटन के प्रकरणों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है । उपरोक्त सर्वेनम्बर– 97, 98, 99 (99/1, 91/2) 100, 1097, 1098, 1100 रकबा क्रमशः 1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011), 2.023, 0.441, 2.000, 0.324 वन विभाग के नक्शे में आर.एफ.लाईन के अंदर वन विभाग के वनरक्षक श्री रंजीतसिंह बोराना, श्री हेमंमत बसेर के सहयोग से तरमीम किये जाना प्रतिवेदित किया गया ।

02– अतएव उपरोक्तानुसार राजस्व निरीक्षक, मनासा/पटवारी, मौजा–पड़दा द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन, चालू नक्शा शीट, अधिकार अभिलेख 1968–69, वर्ष 1961–622 के खसरे, चालू वर्ष का खसरा, वन व्यवस्थाप के प्रकरणों एवं वन विभाग के नक्शे की प्रमाणित प्रतियों सहित प्रतिवेदन मय सहपत्रों आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– यथोपरि.

तहसीलदार,
तहसील–मनासा

Scanned with CamScanner

श्रीमान् तहसीलदार महोदय्
तहसील मनासा

विषय :- गंगाबावड़ी बांध परियोजना अंतर्गत वन से राजस्व में आने वाले निजी खातों की भूमि के संबंध में।

महोदय्,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, गंगाबावड़ी बांध परियोजना के अंतर्गत आने वाली राजस्व की निजी खातों की भूमियां जो अलग अलग समय पर व्यवस्थापन कर वन से राजस्व में सम्मिलित की गई थी किंतु वर्तमान में वन विभाग के नक्शे में आर.एफ. लाईन के अंदर आ रही हैं। उक्त निजी खाते की भूमियों का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं.	सर्वे नं.	रकबा	नाम भूमिस्वामी
01	97	1.092	कंवरीबाई आदि बारेठ
02	98	1.295	कालू पिता अमरा बारेठ
03	99/1	1.012	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
04	99/2	1.011	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
05	100	2.023	फोरूलाल पिता नंदा आदि
06	1097	0.441	रतन पिता सेवा आदि बारेठ
07	1098	2.000	मानसिंह पिता रुघनाथसिंह राजपूत
08	1100	0.324	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
योग-	08	9.198	

उपरोक्त आठ निजी भूमिस्वामियों की भूमि में से सर्वे नम्बर 97, 98, 99 (वर्तमान में बटा नम्बर 99/1,99/2) 100, रकबा क्रमशः 1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011), 2.023 वर्ष 1961 में गांधीसागर बांध जलाशय के डूब विस्थापितों को ग्राम पड़दां में वन भूमि से कम कर आवंटित की गई थी एवं राजस्व सीमा में सम्मिलित की गई थी। उक्त सर्वे नम्बरों के वर्ष 1968-69 के अधिकार अभिलेख अभियान (बंदोबस्त) के पूर्व सर्वे नम्बर अलग थे। इस कारण अधिकार अभिलेख 1968-69 की प्रतिलिपियां (जिनमें नए पुराने नम्बर दोनों दर्ज थे) तथा वर्ष 1961-62 के खसरे की प्रतिलिपियां (जिनमें आवंटन के प्रकरण क्रमांक व दिंाक दर्ज हैं) संलग्न है।

निरंतर ....2 पर

Scanned with CamScanner

सर्वे क्रं. 1997, 1998, 1100 रकबा क्रमशः 0.441, 2.000, 0.324 की भूमि वन व्यवस्थापन के अभियान में मौके पर कब्जेदारों को आवंट्टित की गई थी एवं राजस्व रेकार्ड व नक्शे में शामिल की गई थी। सर्वे नं. 1097, 1098 एवं 1100 के आवंटन के प्रकरणों की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त सर्वे नम्बर 97, 98, 99 (99/1, 99/2), 100. 1097, 1098, 1100 रकबा क्रमशः 1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011), 2.023, 0.441, 2.000, 0.324 वन विभाग के नक्शे में आर.एफ. लाईन के अंदर वन विभाग के वनरक्षक श्री रंजीतसिंह बोराना, श्री हेमंत बसेर के सहयोग से तरमीम किए गए।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की ओर सादर प्रेषित है।

दिनांक-

मूलतः अग्रेषित।

मौजा पटवारी
प.ह.नं. 40
मौजा पड़दा, तह. मनासा

संलग्न

(i) चालू नक्शा शीट
(ii) अधिकार अभिलेख 1968-69 की प्रतिलिपि
(iii) वर्ष 1961-62 के खसरे की प्रतिलिपि
(iv) चालू वर्ष ऑनलाईन खसरा प्रतिलिपि
(v) वन व्यवस्थापन के तीन प्र. (सर्वे नं. 1097, 1098 व 1100) की प्रतिलिपि
(v) वन विभाग का नक्शा

Scanned with CamScanner

व्यय की पूर्व अदायगी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिये अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 1990—कार्तिक 21, मार्च 1912

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 1990

क्र. एफ. 5-81-89-दस-तीन-(12):—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वन या वन का भाग जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1623- एक्स-एफ.-114, तारीख 9 अक्टूबर 1954 द्वारा रक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था. इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित हो जाने की तारीख से रक्षित वन नहीं रहेगा:—

अनुसूची

जिला—मंदसौर, डिवीजन—क्षत्रीय मंदसौर, तहसील—मनासा, परिक्षेत्र—मनासा,

अ. क्र.	आरक्षित वन खण्ड का नाम	अतिक्रमण केन्द्र का नाम व क्रमांक	प्रकोष्ठ क्रमांक	रकवा (हेक्टर म)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कंजार्डा	रावतपुरा (ए) 4.5	506 507 509	22.257	उत्तर—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 156 अ से 148 ब. पूर्व—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 148 ब से पुरानी सीमा रेखा कंजार्डा आरक्षित वन का पिलर नं. 148. दक्षिण—कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 148 से 172 तक. पश्चिम—पुरानी रेखा के पिलर नं. 172 से नई रेखा के पिलर नं. 156 ए.
		,, (बी)	508	3.600	उत्तर—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 144 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 142 अ. पूर्व—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 142 अ से पुरानी रेखा सीमा रेखा के पिलर नं. 142 आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा. दक्षिण—कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी रेखा के पिलर नं. 142 से 143 तक. पश्चिम—आरक्षित वन कंजार्डा की पुरानी रेखा के पिलर नं. 143 से 144 तक.
		योग .. रावतपुरा केन्द्र		25.857	

Scanned with CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	कंजार्डा	गंगाबावडी (सी) 10 से 13	508	5.521	उत्तर—आरक्षित वन कंजार्डा के पुराने पिलर नं. 1[illegible] सीमा रेखा के पिलर नं. 138ब. पूर्व—नई रेखा के पिलर नं. 138ब से पुरानी रेखा पीलर नं. 137अ. दक्षिण—पुरानी रेखा के पिलर नं. 137 अ से कंजार्डा वन खण्ड कौ पुरानी रेखा के पिलर नं. 139. पश्चिम—आरक्षित वन कंजार्डा की पुरानी रेखा के पिलर नं. 139 से 141 तक.
	कंजार्डा	गंगाबावडी (डी) 10 से 13	508	4.624	उत्तर.—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 135 अ से पुरानी रेखा के पिलर नं. 131 अ. पूर्व.—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 131 अ से 136 तक. दक्षिण.—पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 136. पश्चिम.—पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 136 से नई रेखा का पिलर नं. 135 अ.
		,, (ई)	511	0.441	उत्तर.—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 स से 128 ब. पूर्व.—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 128 अ. दक्षिण.—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 128 अ से 129. पश्चिम.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 129 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 स.
		,, (एफ)	511	2.023	उत्तर.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 स से नई रेखा के पिलर नं. 123 ब. पूर्व.—नई रेखा के पिलर नं. 123 ब से 123 अ. दक्षिण.—नई रेखा के पिलर नं. 123 अ से पुरानी रेखा के पिलर नं. 123. पश्चिम.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 से 123 स आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा.
		,, (जी)	516	0.324	उत्तर.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 द से नई रेखा के पिलर नं. 119 स. पूर्व.—नई रेखा के पिलर नं. 119 स से 119 ब तक. दक्षिण.—नई रेखा के पिलर नं. 119 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 अ. पश्चिम.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 अ से 119 द आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा.

for R.D. Manaly

Scanned with CamScanner